



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/ATY-1145/RJ/6/2023-APCR


दिनांक: 17/05/2023

1. श्री निशांत जैन
जिला कलेक्टर,
जिला - जालौर,
कलेक्टर का कार्यालय,
जालौर, राजस्थान - 343001
Email Id: dm-jal-rj@nic.in
2. डॉ. किरण कंग सिद्धू
पुलिस अधीक्षक,
जिला - जालौर,
पुलिस अधीक्षक का कार्यालय,
जालौर, राजस्थान - 343001
Email Id: sp.jalore@rajpolice.gov.in

विषय: प्रार्थी लक्ष्मणा राम की पुत्री के बलात्कार करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करवाने के संबंध में - श्री दौलत राम भील,
जिला - जालौर, राजस्थान का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री दौलत राम भील से दिनांक 13/04/2023 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।


(अंकित कुमार सेन)
अनुसंधान अधिकारी
दूरभाष सं.: 24645826
ई-मेल: researchofficer-apcr@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

श्री दौलत राम भील,
राष्ट्रीय संयोजक, न्याय - पथ
ग्राम पंचायत - अडी, तहसील - सायला,
जिला - जालौर, राजस्थान - 343022
मो.: 9818980257